प्रताप सिंह

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

(दीवानी अपील संख्या 2307/2011)

15 नवम्बर, 2011

(आर.एम. लोढा एवं जगदीश सिंह खेहर, न्यायाधिपति)

न्यायिक सेवा - उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1975- नियम 22 -अपीलकर्ता, एक न्यायिक अधिकारी को उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (संक्षेप में, `यूपीएचजेएस') में मूल रिक्ति में पदोन्नत नहीं किया गया था और जिसके परिणामस्वरूप सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खंड) के रूप में प्रत्यावर्तित कर दिया गया था- जिला न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ता की एसीआर में दी गई टिप्पणी, 'वह सबसे गैर-जिम्मेदार और अनुशासनहीन अधिकारी था', के आधार पर – वैधानिकता- अभिनिर्धारित किया- दस्तावेज़ी रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो गया कि जिला न्यायाधीश की टिप्पणियाँ कि अपीलकर्ता 'गैरजिम्मेदार और अनुशासनहीन अधिकारी था, जिसे वरिष्ठ या सच्चाई का कोई सम्मान नहीं है' निरीक्षण न्यायाधीश द्वारा निष्कासित/प्रतिस्थापित कर दी गई थी- ऐसे निष्कासन/प्रतिस्थापन का प्रभाव यह हुआ कि अपीलकर्ता को जिला न्यायाधीश द्वारा दर्ज की गई टिप्पणियों के आधार पर अनुशासनहीन या

गैरजिम्मेदार नहीं माना जा सकता- जिला न्यायाधीश द्वारा दर्ज की गई टिप्पणियों पर विचार करने और इस बात पर ध्यान न देने के कारण कि ऐसी टिप्पणियों को हटा दिया गया/प्रतिस्थापित किया गया था, अपीलकर्ता के यूपीएचजेएस में मूल रिक्ति में पदोन्नति हेतु 1975 नियमावली के तहत चयन समिति तथा फुल कोर्ट द्वारा विचार करना मामले को गंभीरतापूर्वक एवं महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता था- अपीलकर्ता के यूपीएचजेएस में मूल रिक्ति में पदोन्नति के मामले को कानून के अनुसार पुनर्विचार की आवश्यकता है।

अपीलकर्ता, एक न्यायिक अधिकारी को उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (संक्षेप में, `यूपीएचजेएस') में मूल रिक्ति में पदोन्नत नहीं किया गया था और जिसके परिणामस्वरूप सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खंड) के रूप में प्रत्यावर्तित कर दिया गया था।

हालांकि, समिति ने 1975 के नियम 22(1) के तहत वर्ष 1996-97 की अपीलकर्ता की एसीआर में जिला न्यायाधीश द्वारा दी गई टिप्पणी के मद्देनजर पदोन्नति के लिए अपीलकर्ता के नाम की सिफारिश नहीं की।

समिति ने कॉलम 3 में की गई जिला न्यायाधीश की टिप्पणी का हवाला दिया कि वह सबसे गैरजिम्मेदार और अनुशासनहीन अधिकारी थे। उपरोक्त समिति की रिपोर्ट पर 11 जुलाई 1998 को हुई बैठक में पूर्ण न्यायालय द्वारा विचार किया गया और 1975 के नियमों के नियम 22 (1)

के तहत यूपीएचजेएस में नियुक्ति के लिए उनके नाम को मंजूरी नहीं दी गई।

हमारे सामने विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या 1975 के नियमों के नियम 22(1) के तहत यूपीएचजेएस में मूल रिक्ति में पदोन्नति के लिए अपीलकर्ता की मंजूरी न देना किसी अवैधता से ग्रस्त है।

न्यायालय ने अपील की अनुमति देकर अभिनिर्धारण किया कि:-

यह विवाद में नहीं है कि 1996-97 (12 जून, 1996 से 31 मार्च, 1997) के लिए एसीआर में जिला न्यायाधीश, ललितपुर द्वारा दर्ज की गई टिप्पणियां यूपीएचजेएस में पर्याप्त रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नति के लिए अपीलकर्ता के नाम की गैर-अनुमोदन का आधार बनीं। यह रिकॉर्ड से पता चलता है की जिला न्यायाधीश, ललितपुर ने उपरोक्त अवधि के लिए दर्ज एसीआर में अपीलकर्ता को 'गैर-जिम्मेदार और अनुशासनहीन अधिकारी' के रूप में दर्जा दिया। जिला न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणी के खिलाफ अपीलकर्ता ने 28 जून, 1997 को रजिस्ट्रार को एक व्यापक अभ्यावेदन दिया। अपीलकर्ता द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर ललितपुर जिले के निरीक्षण न्यायाधीश द्वारा विचार किया गया। दिनांक 21 अक्टूबर 1997 के संचार के माध्यम से, अपीलकर्ता को सूचित किया गया कि जिला न्यायाधीश द्वारा कॉलम नंबर 1 (ई) (iii) में दर्ज की गई प्रतिकूल टिप्पणियाँ - 'पुराने मामलों का निपटान: संतोषजनक नहीं' और कॉलम नंबर 1 (ई)(iv) में

प्रतिकूल टिप्पणियाँ - "निष्पादन मामलों की प्रगति और निपटान: 1996 के तीन निष्पादन मामले थे लेकिन किसी भी मामले का निपटारा नहीं किया गया था" को हटा दिया गया था। उपरोक्त संचार में, अपीलकर्ता को यह भी सूचित किया गया था कि कॉलम संख्या 2 -"अधिकारी की योग्यता का समग्र मूल्यांकन- उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, औसत, ख़राब: ख़राब। गैर-जिम्मेदार और अनुशासनहीन अधिकारी जिसे अपने उच्चाधिकारी या सच्चाई का कोई सम्मान नहीं है। विवरण नीचे कॉलम नंबर 3 में उल्लिखित है" "समग्र मूल्यांकन- बिल्कुल औसत" द्वारा प्रतिस्थापित की गई। 21 अक्टूबर 1997 के संचार को ध्यान से पढ़ने पर कोई संदेह नहीं रह जाता है कि जिला न्यायाधीश, ललितपुर द्वारा कॉलम संख्या 2 में दी गई प्रतिकूल टिप्पणियाँ कि अपीलकर्ता कॉलम संख्या 3 में बताए गए तथ्यों के लिए गैर जिम्मेदार और अनुशासनहीन अधिकारी था, अब वैसे नहीं रहे जैसे वे हैं और उन्हें "सिर्फ औसत" से प्रतिस्थापित कर दिया गया। इस प्रकार, 11 जुलाई 1998 को आयोजित बैठक में चयन समिति के साथ-साथ पूर्ण न्यायालय द्वारा जिला न्यायाधीश, ललितपुर द्वारा दर्ज की गई टिप्पणियों पर विचार करना उचित नहीं था।

एक न्यायिक अधिकारी को अनुशासित रहना होगा और एक जिम्मेदार अधिकारी के रूप में व्यवहार करना होगा। न्यायपालिका में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हालाँकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जिला न्यायाधीश की टिप्पणी कि अपीलकर्ता, 'गैर-

जिम्मेदार और अनुशासनहीन अधिकारी था, जिसे उच्चाधिकारी या सच्चाई के प्रति कोई सम्मान नहीं है' को निरीक्षण न्यायाधीश द्वारा निष्कासित/प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इस तरह के निष्कासन/प्रतिस्थापन का प्रभाव यह होता है कि जिला न्यायाधीश द्वारा दर्ज की गई टिप्पणियों के आधार पर अपीलकर्ता को गैर-जिम्मेदार या अनुशासनहीन अधिकारी नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार, कॉलम (3) में जो दर्ज किया गया है, उसकी गंभीरता ख़त्म हो गई है। इसके अलावा दोनों वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों के बीच समस्या की जड़ अहं का टकराव नजर आ रहा है। सैमुअल जॉनसन के शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए महत्वपूर्ण है। कॉलम (3) में उल्लेखित टिप्पणी, 'वह नजारत से संबंधित किसी भी समस्या पर चर्चा करने के लिए कभी भी मेरे कक्ष या आवास पर नहीं आए' यह इंगित करता है कि जिला न्यायाधीश अपीलकर्ता से खुश नहीं थे क्योंकि उन्होंने उन्हें उचित महत्व नहीं दिया था।

जैसा कि हो सकता है, जिला न्यायाधीश द्वारा दर्ज की गई टिप्पणियों पर विचार करने और इस बात पर ध्यान न देने के कारण कि ऐसी टिप्पणियों को हटा दिया गया/प्रतिस्थापित किया गया था, जैसा कि 21 अक्टूबर, 1997 के संचार के माध्यम से अपीलकर्ता को सूचित किया गया था, अपीलकर्ता के यूपीएचजेएस में मूल रिक्ति में पदोन्नति हेतु 1975 नियमावली के तहत चयन समिति द्वारा 18 मई 1998 की बैठक में तथा

फुल कोर्ट द्वारा 11 जुलाई 1998 को आयोजित बैठक में विचार करना मामले को गंभीरतापूर्वक एवं महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।

यूपीएचजेएस में मूल रिक्ति में अपीलकर्ता की पदोन्नति के मामले पर चयन समिति द्वारा 18 मई, 1998 को और पूर्ण न्यायालय द्वारा 11 जुलाई, 1998 को विचार किया गया था, जिस पर चर्चा के आलोक में कानून के अनुसार पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। चूंकि अपीलकर्ता के शीघ्र ही सेवानिवृत्त होने की संभावना है, हम उम्मीद करते हैं कि उच्च न्यायालय अपने प्रशासनिक पक्ष से इस अभ्यास को जल्द से जल्द पूरा करेगा और अधिमानतः इस आदेश के संचार की तारीख से एक महीने के भीतर पूरा करेगा।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 2307/2011।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ द्वारा सिविल अपील रिट संख्या 08(एस/बी) अभी वर्ष 1999 की डी.बी. के निर्णय दिनांकित 21.12.2009 से।

अपीलकर्ता की ओर से दिनेश द्विवेदी, पी.एन. गुप्ता, मनीष शंकर श्रीवास्तव, वरूण चौधरी प्रतीक द्विवेदी।

प्रत्यर्थी की ओर से रवि प्रकाश मेहरोत्रा व विभु तिवारी

न्यायालय का निर्णय आरएम लोढ़ा, न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया।

1. अपीलकर्ता, एक न्यायिक अधिकारी को उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (संक्षेप में, `यूपीएचजेएस') में मूल रिक्ति में पदोन्नत नहीं किया गया था और जिसके परिणामस्वरूप सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खंड) के रूप में प्रत्यावर्तित कर दिया गया था, विशेष अनुमति द्वारा अपील में है।

2. अपीलकर्ता, उचित चयन के बाद, 16 मई, 1977 को उत्तर प्रदेश में मुंसिफ़ के रूप में न्यायिक सेवा में शामिल हो गया और 30 अगस्त, 1982 को उसकी पुष्टि कर दी गई। वे 4 जनवरी, 1986 को अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश बन गए और उसे 1 अप्रैल, 1990 से 3700-5000 रुपये का चयन ग्रेड मिला। इसके बाद वे सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खंड) बन गए।

3. प्रशासनिक पक्ष से, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 18 नवंबर, 1995 को आयोजित अपनी पूर्ण अदालत की बैठक में उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1975 के नियम 22(3) के तहत स्थानापन्न क्षमता में अपीलकर्ता की पदोन्नति को मंजूरी दे दी। पूर्ण न्यायालय द्वारा लिए गए उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में, 7 जून, 1996 को अपीलकर्ता को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर के रूप में पदोन्नत और नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की गई।

4. जब अपीलकर्ता अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर के रूप में नियुक्त था, श्री मुक्तेश्वर प्रसाद जिला न्यायाधीश, ललितपुर थे।

अपीलकर्ता को 10 सितंबर, 1996 से जिला न्यायाधीश द्वारा प्रभारी अधिकारी, नजारत बनाया गया था। अपीलकर्ता मार्च, 1997 या उसके आसपास तक इस पद पर बना रहा। हुआ यूं कि 30/31 जनवरी, 1997 की मध्यरात्रि में कुछ चोर अपीलकर्ता के आवास में घुस गये और दरवाजे तोड़ने की कोशिश की। अपीलकर्ता को ललितपुर न्याय़क्षेत्र के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संलिप्तता का संदेह था। उस दिन, जिला न्यायाधीश छुट्टी पर थे और अपीलकर्ता ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने अपीलकर्ता के घर में चोरी के लिए प्रवेश करने वाले संदिग्ध चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जिला न्यायाधीश के समर्थन का आरोप लगाया। अपीलकर्ता द्वारा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को दिया गया आवेद प्रार्थना पत्र न एक खुले लिफाफे में रखा गया था। जिला न्यायाधीश, ललितपुर ने अपीलकर्ता से उसके प्रार्थना पत्र में लगाए गए आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा और घटना की जानकारी 19 फरवरी, 1997 को उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के साथ-साथ ललितपुर न्यायक्षेत्र के निरीक्षण न्यायाधीश को भी दी।

5. अपीलकर्ता की वर्ष 1996-97 (12 जून 1996 से 31 मार्च 1997) की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में जिला न्यायाधीश (श्री मुक्तेश्वर प्रसाद) ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

ए	अधिकारी की सत्यनिष्ठा संदेह से परे	संदेह से परे है, शिकायत प्राप्त

	है, संदेहास्पद या सकारात्मक रूप से कमी है	नहीं हुई
बी	यदि वह जनता और बार के साथ व्यवहार करने में निष्पक्ष है	मुझसे कोई विशेष शिकायत नहीं की गई थी
सी	यदि वह ठंडे दिमाग वाला है और अदालत में आपा नहीं खोता है	हाँ।
डी	उसका निजी चरित्र, यदि ऐसा है जो उसे जनता की नजरों में नीचे गिराता हो और उनके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में प्रतिकूल प्रभाव डालता है	उसके निजी जीवन पर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई
ई	पत्रावलियों पर नियंत्रण:-	
	(i) वाद सूची का उचित निर्धारण	उचित नहीं है। औसत तौर पर 22-23 पत्रावली रखी जाती है।
	(ii) अनावश्यक स्थगन को टालना	संतोषजनक
	(iii) पुराने मामलों का निपटारा	संतोषजनक नहीं है। 1991 की 7 में से 1, 1992 की 32 में से 2 और 1993 की 36 में से

		6 एसटी का निस्तारण किया गया
	(iv) निष्पादन के मामले में प्रगति एवं निपटान	1996 के 3 निष्पादन मामले है लेकिन कोई मामला निस्तारण नहीं किया गया। एक मामले पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गयी है
	(v) अंतरिम आदेश, निषेधाज्ञा दिए दिए जाते है या पर्याप्त कारणों से बरकरार रखा गया-	हाँ
	(vi) क्या मामलों को पर्याप्त आधार पर रिमांड किया जाता है	कोई अपील रिमांड नहीं की गई
एफ	क्या तथ्यों और कानून पर निर्णय कुल मिलाकर सुविचारित और अच्छी भाषा में व्यक्त किया गया है	निर्णय औसत गुणवत्ता के है
जी	क्या कार्य का निपटान पर्याप्त है (प्रतिशत दें और कम निपटान के कारण बताए)	आउट-टर्न 132% है, जो मानक से उपर है। कथन के अनुसार 133 कार्य दिवस में

		175.88 दिन काम किया है
एच	कार्यालय पर नियंत्रण और प्रशासनिक क्षमता एवं चातुर्य	उचित
आई	बार के सदस्यों के साथ संबंध [घटनाओं का उल्लेख करें, यदि कोई हो]	सामान्य
जे	साथी अधिकारी के साथ व्यवहार [घटनाओं का उल्लेख करें, यदि कोई भी]	सामान्य
के	क्या अधिकारी ने दौरानवर्ष अपने न्यायालय और उसके प्रभार में कार्यालय का नियमित निरीक्षण किया और क्या ऐसे निरीक्षण पूर्ण और असरदार थे।	हाँ
एल	अदालत में समय पर बैठने में उनकी पाबन्दी।	हाँ
एम	क्या वह जिला न्यायाधीश एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी की सलाह के प्रति	वह जिला न्यायाधीश की सलाह के प्रति उत्तरदायी नहीं

	उत्तरदायी है	है, कारण नीचे कॉलम नं.3 में बताए गए है।
2	योग्यता का समग्र मूल्यांकन- ख़राब उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, निष्पक्ष, खराब	खराब। गैर जिम्मेदार और अनुशासनहीन अधिकारी, जिसका विरष्ठ एवं सत्य के प्रति कोई सम्मान नहीं है, कारण नीचे कॉलम नं.3 में बताए गए है।

3. <u>अन्य टिप्पणियाँ, यदि कोई हो।</u>

मेरे द्वारा इस जिले में कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्हें दिनांक 10.9.1996 से प्रभारी पदाधिकारी, नजारत नियुक्त किया गया। वह न्यायक्षेत्र में सबसे वरिष्ठतम अधिकारी और एकमात्र अपर जिला न्यायाधीश थे और उसने अपेक्षा की गई थी कि वे न्यायक्षेत्र के मामलों में अपना पूर्ण सहयोग और सहायता देंगे। मैंने शुरू से ही पाया कि उनका रवैया सहयोगात्मक नहीं था और वास्तव में उन्होंने नजारत के कामकाज में सुधार के लिए बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ली। वह नजारत से संबंधित किसी भी समस्या पर चर्चा करने के लिए कभी भी मेरे पास कक्ष या आवास पर नहीं आए। नवंबर, 1996 में उन्होंने प्रभारी पदाधिकारी, नजारत

के पद से मुक्त करने का लिखित अनुरोध किया। मैंने उन्हें बुलाया और प्रभारी अधिकारी, नजारत के पद पर बने रहने के लिए राजी किया। अनिच्छा के साथ, वह जारी रहने के लिए सहमत हो गया। पुनः 22.1.97 को उन्होंने प्रभारी अधिकारी, नजारत के पद से स्वयं को हटाने के लिए प्रार्थना पत्र इस आधार पर भेजा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री शंकर लाल को उनके मौखिक और लिखित अनुरोध पर मेरे द्वारा स्थानांतरित नहीं किया गया था। उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.1.97 के आदेश द्वारा श्री शंकर लाल का स्थानांतरण कर दिया गया था और उनके स्थान पर श्री मानिक चंद को उनके न्यायालय में नियुक्त किया गया था। श्री सिंह को एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी [श्री स्वंद सिंह] में अत्यधिक रुचि थी और वह उसकी नियुक्ति अपने न्यायालय में चाहते थे लेकिन कुछ प्रशासनिक कारणों से उनका वहां स्थानांतरण नहीं किया गया। वह अगस्त, 1996 में सेवा में शामिल हुए।

उन्होंने हमेशा केंद्रीय नाजिर और नजारत में कार्यरत अन्य अधिकारियों के असहयोग की शिकायत की और 23.12.96 को इस आशय का एक आदेश भी पारित किया कि केंद्रीय नाजिर कभी भी अदालतों का चक्कर नहीं लगाएंगे और कभी भी चौकीदारों की जांच नहीं करेंगे। इस आदेश के क्रम में केंद्रीय नाजिर श्री शमशेर बहादुर श्रीवास्तव ने दिनांक 12.1.97 को प्रातः लगभग 3.35 बजे सिविल कोर्ट भवन का औचक निरीक्षण किया तथा 3.50 बजे दोनों चौकीदारों की जांच की। दोनों

चौकीदार, सर्वश्री स्वांक सिंह एवं गुलाब चंद सरोज सोते हुए पाये गये। उन्होंने चौकीदारों से स्पष्टीकरण तलब करने के लिए प्रभारी पदाधिकारी नजारत को अपनी रिपोर्ट सौंपी। श्री सिंह ने चौकीदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की और भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी दी।

श्री सिंह हमेशा काम से कतराते रहे और न्यायक्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से निपटने में उन्होंने कभी भी मेरी कोई सहायता नहीं की। मार्च, 1997 में श्री जय सिंह की अपर जिला न्यायाधीश के पद पर जिले में पदस्थापन के पहले, वे सबसे वरिष्ठ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश थे। हालाँकि, उन्होंने अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई, इसका सीधा कारण यह था कि उनकी पसंद के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को मेरे द्वारा उनके न्यायालय में नियुक्त नहीं किया गया था।

2. दिनांक 31.1.1997 को जब मैं न्यायक्षेत्र से बाहर था और ग्वालियर गया हुआ था तब श्री सिंह ने मुझ पर लिखित रूप से पूर्णतः झूठा एवं निराधार आरोप लगाया। मेरी अनुपस्थिति में उन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को एक पत्र सौंपा और पत्र को लिफाफे में भी नहीं रखा। नतीजतन, पत्र की विषय-वस्तु मेरे मुख्यालय पहुंचने से पहले मेरे अधीन काम करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अच्छी तरह से पता थी। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि 30/31.1.1997 की मध्यरात्रि में कुछ चोरों ने उनके आवास के दरवाजे तोड़ने की कोशिश की।

उन्हें न्यायक्षेत्र के कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संलिप्तता का संदेह था। उनके अनुसार चोर न्यायक्षेत्र के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे और मैं उनका समर्थन कर रहा था। पत्र का मजमून पढ़ने के बाद मैं दंग रह गया। मैंने श्री सिंह को एक पत्र भेजा और कुछ प्रश्नों पर उनका उत्तर मांगा। अपने उत्तर दिनांक 6.2.97 में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 31.1.97 को तोड़-मरोड़कर पेश करने का प्रयास किया। इस प्रकार अधिकारी ने न्यायक्षेत्र के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नजर में मेरी छवि खराब करने की कोशिश की और घोर अनुशासनहीनता का कार्य किया।

मैंने पहले ही इन तथ्यों को अपने डीओ पत्र संख्या 4 और 5/पीए/1997 दिनांक 19.2.1997 के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के रजिस्ट्रार और साथ ही ललितपुर के माननीय निरीक्षक

न्यायाधीश को बता दिया है। उपरोक्त सभी कारणों से, मैंने अधिकारी को सबसे गैर-जिम्मेदार और अनुशासनहीन दर्जा दिया है।"

6. जिला न्यायाधीश, ललितपुर द्वारा दर्ज की गई उपरोक्त प्रतिकूल टिप्पणियाँ 30 मई, 1997 को अपीलकर्ता को सूचित की गईं। सूचना प्राप्त होने पर, अपीलकर्ता ने 28 जून, 1997 को रजिस्ट्रार को अभ्यावेदन दिया और प्रार्थना की कि जिला न्यायाधीश द्वारा दर्ज की गई प्रतिकूल टिप्पणियाँ को हटा दिया जाए।

7. 21 अक्टूबर 1997 को संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा अपीलकर्ता को सूचित किया गया कि उनके अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद जिला न्यायाधीश द्वारा वर्ष 1996-97 के लिए कॉलम संख्या 1(ई)(iii), 1(ई)(iv) में दर्ज की गई टिप्पणियाँ को हटा दिया गया है और कॉलम नंबर 2 को अदालत द्वारा 'समग्र मूल्यांकन - सिर्फ औसत' के कक्ष में प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

8. अपीलकर्ता का मामला यह है कि 11 जुलाई 1998 को उसे पता चला कि उस दिन हुई बैठक में पूर्ण न्यायालय ने यूपीएचजेएस में मूल रिक्ति में उसकी नियुक्ति के लिए अपीलकर्ता के नाम को मंजूरी नहीं दी थी। अपीलकर्ता ने 11 जुलाई, 1998 को लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए 19 अगस्त, 1998 को प्रशासनिक पक्ष से उच्च न्यायालय में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अपीलकर्ता के अभ्यावेदन पर अनुकूल विचार नहीं किया गया और 11 जुलाई, 1998 को पूर्ण न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर 5 दिसंबर, 1998 को एक अधिसूचना जारी की गई की अपीलकर्ता को न्यायिक सेवा, यानी सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खंड) में वापस भेज दिया गया।

9. अपीलकर्ता ने 5 दिसंबर, 1998 की अधिसूचना को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के समक्ष एक रिट याचिका में चुनौती दी और इसे रद्द करने की प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना की कि 18 मई,

1998 की चयन समिति की रिपोर्ट और 11 जुलाई, 1998 को लिए गए पूर्ण न्यायालय के फैसले का रिकॉर्ड, जहां तक अपीलकर्ता का संबंध है, मंगाया जाए और उत्तरदाताओं को अपीलकर्ता को यूपीएचजेएस में पदोन्नत करने का आदेश देते हुए एक परमादेश जारी किया जाए और वर्ष 1996-97 के लिए एसीआर में जिला न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों को नजरअंदाज किया जाए।

10. उपरोक्त रिट याचिका का प्रत्यर्थियों द्वारा विरोध किया गया था।

11. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पक्षों को सुनने के बाद 21 दिसंबर 2009 के अपने आदेश से रिट याचिका खारिज कर दी।

12. हमने अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेश द्विवेदी और प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश मेहरोत्रा को सुना।

13. प्रत्यर्थी संख्या 2, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से इस न्यायालय के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे से यह पता चलता है कि 1975 के नियमों के नियम 22 (3) के तहत तीन न्यायाधीशों की एचजेएस चयन समिति ने 10 नवंबर, 1995 को अपनी बैठक में यूपीएचजेएस में अपीलकर्ता की पदोन्नति के मामले पर विचार किया गया था तथा तदर्थ क्षमता में यूपीएचजेएस में पदोन्नति के लिए अपीलकर्ता के नाम की सिफारिश की थी। चयन समिति की रिपोर्ट पर पूर्ण न्यायालय ने

18 नवंबर, 1995 को हुई बैठक में विचार किया और अपीलकर्ता के नाम को तदर्थ क्षमता में यूपीएचजेएस में पदोन्नति के लिए मंजूरी दे दी गई। तदनुसार अपीलकर्ता को यूपीएचजेएस में पदोन्नत किया गया और ललितपुर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी गई। इसके बाद यूपीएचजेएस में मूल रिक्ति में पदोन्नति के लिए अपीलकर्ता के मामले पर 18 मई, 1998 को तीन न्यायाधीशों वाली चयन समिति द्वारा विचार किया गया। हालांकि, समिति ने 1975 के नियम 22(1) के तहत वर्ष 1996-97 की एसीआर में जिला न्यायाधीश द्वारा दी गई टिप्पणी के मद्देनजर पदोन्नति के लिए अपीलकर्ता के नाम की सिफारिश नहीं की। समिति ने कॉलम 3 में की गई जिला न्यायाधीश की टिप्पणी का हवाला दिया कि वह सबसे गैरजिम्मेदार और अनुशासनहीन अधिकारी थे। उपरोक्त समिति की रिपोर्ट पर 11 जुलाई 1998 को हुई बैठक में पूर्ण न्यायालय द्वारा विचार किया गया और 1975 के नियमों के नियम 22 (1) के तहत यूपीएचजेएस में नियुक्ति के लिए उनके नाम को मंजूरी नहीं दी गई। हमारे सामने सवाल यह है कि क्या 1975 के नियमों के नियम 22(1) के तहत यूपीएचजेएस में मूल रिक्ति में पदोन्नति के लिए अपीलकर्ता की मंजूरी न देना किसी अवैधता से ग्रस्त है।

14. यह विवाद में नहीं है कि 1996-97 (12 जून, 1996 से 31 मार्च, 1997) के लिए एसीआर में जिला न्यायाधीश, ललितपुर द्वारा दर्ज की गई टिप्पणियां यूपीएचजेएस में पर्याप्त रिक्ति के वि पदोन्नति के लिए

अपीलकर्ता के नाम की गैर-अनुमोदन का आधार बनीं। यह रिकॉर्ड से पता चलता है के विरुद्ध जिला न्यायाधीश, ललितपुर ने उपरोक्त अवधि के लिए दर्ज एसीआर में अपीलकर्ता को 'गैर-जिम्मेदार और अनुशासनहीन अधिकारी' के रूप में दर्जा दिया। जिला न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणी के खिलाफ, अपीलकर्ता ने 28 जून, 1997 को रजिस्ट्रार को एक व्यापक अभ्यावेदन दिया। अपीलकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन को विस्तार से संदर्भित करना आवश्यक नहीं है। यह कहना पर्याप्त है कि अपीलकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे पाई गई है और उनकी न्यायिक सेवा के लगभग 20 वर्षों में, उन्हें 24 जिला न्यायाधीशों के साथ नियुक्त किया गया है और श्री मुक्तेश्वर प्रसाद, जिला न्यायाधीश, ललितपुर द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को छोड़कर उपरोक्त अवधि के दौरान के किसी भी जिला न्यायाधीश ने उनके आचरण, सत्यनिष्ठा या प्रदर्शन के बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज नहीं की। अपीलकर्ता ने एसीआर में दर्ज जिला न्यायाधीश, ललितपुर की टिप्पणियों का पुरी तरफ खंडन किया और पूरे प्रकरण की व्याख्या की।

15. अपीलकर्ता द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर ललितपुर जिले के निरीक्षण न्यायाधीश द्वारा विचार किया गया। दिनांक 21 अक्टूबर 1997 के संचार के माध्यम से, अपीलकर्ता को सूचित किया गया कि जिला न्यायाधीश द्वारा कॉलम नंबर 1 (ई) (iii) में दर्ज की गई प्रतिकूल टिप्पणियाँ - 'पुराने मामलों का निपटान: संतोषजनक नहीं' और कॉलम

नंबर 1 (ई)(iv) में प्रतिकूल टिप्पणियाँ - "निष्पादन मामलों की प्रगति और निपटान: 1996 के तीन निष्पादन मामले थे लेकिन किसी भी मामले का निपटारा नहीं किया गया था" को हटा दिया गया था। उपरोक्त संचार में अपीलकर्ता को यह भी सूचित किया गया था कि कॉलम संख्या 2 -"अधिकारी की योग्यता का समग्र मूल्यांकन - उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, औसत, ख़राब: ख़राब। गैर-जिम्मेदार और अनुशासनहीन अधिकारी जिसे अपने उच्चाधिकारियों या सच्चाई का कोई सम्मान नहीं है। विवरण नीचे कॉलम नंबर 3 में उल्लिखित है" "समग्र मूल्यांकन - बिल्कुल औसत" द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 21 अक्टूबर 1997 के संचार को ध्यान से पढ़ने पर कोई संदेह नहीं रह जाता है कि जिला न्यायाधीश, ललितपुर द्वारा कॉलम संख्या 2 में दी गई प्रतिकूल टिप्पणियाँ कि अपीलकर्ता कॉलम संख्या 3 में बताए गए तथ्यों के लिए गैर जिम्मेदार और अनुशासनहीन अधिकारी था, अब वैसे नहीं रहे जैसे वे हैं और उन्हें "सिर्फ औसत" से प्रतिस्थापित कर दिया गया। इस प्रकार, 11 जुलाई 1998 को आयोजित बैठक में चयन समिति के साथ-साथ पूर्ण न्यायालय द्वारा जिला न्यायाधीश, ललितपुर द्वारा दर्ज की गई टिप्पणियों पर विचार करना उचित नहीं था।

16. हालाँकि, इस न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से दायर जवाबी हलफनामे के अनुच्छेद 'सी' में, अपीलकर्ता के प्रतिनिधित्व

पर 6 अगस्त, 1997 को निरीक्षण न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का पुनः वर्णित किया गया है, जो इस प्रकार है:

> "मैंने जिला न्यायाधीश, श्री मुक्तेश्वर प्रसाद द्वारा पैरा - 1 (ई)(i), 1 (ई)(iii), 1 (ई)(iv), 1 (एफ) और 1(एम) में दी गई प्रतिकूल टिप्पणियों को पढ़ा है, साथ ही "समग्र मूल्यांकन" से संबंधित कॉलम नंबर 2 और "अन्य टिप्पणियां, यदि कोई हो" से संबंधित कॉलम नंबर 3 में मैंने संबंधित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को भी देखा है। संबंधित अधिकारी द्वारा किए गए अभ्यावेदन को देख कर मुझे लगता है कि पैरा 1(ई)(i) और 1(एफ) में जिला न्यायाधीश द्वारा दिया गए निष्कर्ष हटाने जाने योग्य नहीं हैं, जबकि कॉलम 1(ई)(iii) और 1(e)(iv) के तहत दिया गए निष्कर्ष निष्कासन योग्य हैं।
>
> जिला न्यायाधीश द्वारा टिप्पणी कॉलम संख्या 3 में दिया गया विवरण यह इंगित करता है कि श्री प्रताप सिंह-द्वितीय जिला न्यायाधीश की सलाह के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। जहां तक जिला न्यायाधीश द्वारा समग्र मूल्यांकन को 'खराब' मानने का सवाल है, मैं उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से सहमत नहीं हूं। इसके बजाय, इस संबंध में

न्यायिक अधिकारी, श्री प्रताप सिंह-द्वितीय द्वारा दिए गए कारणों को देखते हुए, मुझे उनमें तर्क मिलता है; चूंकि जिला न्यायाधीश द्वारा उनकी सत्यनिष्ठा को संदेह से परे बताया गया है और उनके कार्य-परिवर्तन को मानक से ऊपर बताया गया है, तो जाहिर है, समग्र मूल्यांकन 'खराब' नहीं हो सकता है। इस प्रकार, इसे हटाया जाना चाहिए और इसके बजाय, संपूर्ण एसीआर और जिला न्यायाधीश द्वारा दी गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, समग्र मूल्यांकन को "सिर्फ औसत" के रूप में मूल्यांकित किया जा सकता है।

इसके अलावा, चूँकि जिला न्यायाधीश श्री मुक्तेश्वर प्रसाद द्वारा दी गई टिप्पणियाँ तथ्यात्मक पहलुओं पर आधारित हैं, जिन्हें उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के साथ-साथ मुझे, निरीक्षण न्यायाधीश, को भी उचित समय पर सूचित किया गया था, इसलिए, उन्हें हटाना नहीं चाहिए और इस संबंध में न्यायिक अधिकारी, श्री प्रताप सिंह-द्वितीय द्वारा दिया गया प्रतिनिधित्व खारिज किए जाने योग्य है।"

17. 11 अक्टूबर, 2011 को, सुनवाई के दौरान, प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश मेहरोत्रा ने 21 अक्टूबर 1997 के संचार के साथ निर्देश प्राप्त करने के लिए स्थगन का अनुरोध किया के, निरीक्षण

न्यायाधीश के निर्णय की प्रति, जैसा कि ऊपर प्रस्तुत किया गया है, अपीलकर्ता को भेजी गई थी। हमने वकील के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और मामले को 18 अक्टूबर, 2011 के लिए रखा। 18 अक्टूबर, 2011 को, श्री रवि प्रकाश मेहरोत्रा ने निष्पक्ष रूप से कहा कि निरीक्षण न्यायाधीश के फैसले की प्रति अपीलकर्ता को नहीं भेजी गई थी और उन्होंने 21 अक्टूबर, 1997 के संचार में जो कुछ शामिल था, उसके बारे में ही सूचित किया गया था। हमारे विचार में, उपरोक्त परिस्थितियों में निरीक्षण न्यायाधीश के 6 अगस्त 1997 के फैसले के तथ्य अपीलकर्ता के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं है कि एक न्यायिक अधिकारी को अनुशासित रहना होगा और एक जिम्मेदार अधिकारी के रूप में व्यवहार करना होगा। न्यायपालिका में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हालाँकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जिला न्यायाधीश की टिप्पणी कि अपीलकर्ता, 'गैर-जिम्मेदार और अनुशासनहीन अधिकारी था, जिसे उच्चाधिकारियों या सच्चाई के प्रति कोई सम्मान नहीं है' को निरीक्षण न्यायाधीश द्वारा निष्कासित/प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इस तरह के निष्कासन/प्रतिस्थापन का प्रभाव यह होता है कि जिला न्यायाधीश द्वारा दर्ज की गई टिप्पणियों के आधार पर अपीलकर्ता को गैर-जिम्मेदार या अनुशासनहीन अधिकारी नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार, कॉलम (3) में जो दर्ज किया गया है, उसकी गंभीरता ख़त्म हो गई है। इसके अलावा

दोनों वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों के बीच समस्या की जड़ अहं का टकराव नजर आ रहा है। सैमुअल जॉनसन के शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए महत्वपूर्ण है। कॉलम (3) में उल्लेखित टिप्पणी, 'वह नजारत से संबंधित किसी भी समस्या पर चर्चा करने के लिए कभी भी मेरे कक्ष या आवास पर नहीं आए' यह इंगित करता है कि जिला न्यायाधीश अपीलकर्ता से खुश नहीं थे क्योंकि उन्होंने उन्हें उचित महत्व नहीं दिया था।

18. जैसा कि हो सकता है, जिला न्यायाधीश द्वारा दर्ज की गई टिप्पणियों पर विचार करने और इस बात पर ध्यान न देने के कारण कि ऐसी टिप्पणियों को हटा दिया गया/प्रतिस्थापित किया गया था जैसा कि 21 अक्टूबर, 1997 के संचार के माध्यम से अपीलकर्ता को सूचित किया गया था, अपीलकर्ता के यूपीएचजेएस में मूल रिक्ति में पदोन्नति हेतु 1975 नियमावली के तहत चयन समिति द्वारा 18 मई 1998 की बैठक में तथा फुल कोर्ट द्वारा 11 जुलाई 1998 को आयोजित बैठक में विचार करना मामले को गंभीरतापूर्वक एवं महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता था।

19. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में, यह कहा गया है कि यूपीएचजेएस में मूल रिक्ति में पदोन्नति के लिए अपीलकर्ता के मामले पर 24 नवंबर 2004 को चयन समिति द्वारा फिर से विचार किया गया था लेकिन मामला विचाराधीन होने के कारण यह निर्णय लिया गया कि अपीलकर्ता के नाम पर नियमावली

1975 के नियम 22(1) के तहत नियमित नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जा सकता है एवं चयन समिति की उपरोक्त रिपोर्ट को पूर्ण न्यायालय ने 5 फरवरी 2005 को हुई बैठक में स्वीकार कर लिया।

20. हमने ऊपर जो चर्चा की है, उसमें अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की दलीलों पर विचार करना आवश्यक नहीं है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 के तहत बनाए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नियम (न्यायालय के नियम), 1952 अध्याय III, नियम 4(बी)(3) और नियम 4(सी)(16) के तहत जिला न्यायाधीश के पास अपीलकर्ता के संबंध में कोई टिप्पणी करने की कोई क्षमता नहीं थी।

21. हमारे विचार में, यूपीएचजेएस में मूल रिक्ति में अपीलकर्ता की पदोन्नति के मामले पर चयन समिति द्वारा 18 मई, 1998 को और पूर्ण न्यायालय द्वारा 11 जुलाई, 1998 को विचार किया गया था, जिस पर चर्चा के आलोक में कानून के अनुसार पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। चूंकि अपीलकर्ता के शीघ्र ही सेवानिवृत्त होने की संभावना है, हम उम्मीद करते हैं कि उच्च न्यायालय अपने प्रशासनिक पक्ष से इस अभ्यास को जल्द से जल्द पूरा करेगा और अधिमानतः इस आदेश के सूचना की तारीख से एक महीने के भीतर पूरा करेगा।

22. जैसा कि ऊपर बताया गया है, लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील की अनुमति दी जाती है।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादन न्यायिक अधिकारी कोमल मण्डल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण:- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यान्वय के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।